



-: 3 : -

विक्रय किये मकान पर किसी का लेना निकलना नहीं है निकलना तो उसकी पुगे पुगे जबाबदारी मेरी रहेगी तथा विक्रय किये मकान को कहीं भी गिरवी - जफ़्त में तथा बंधक में किया नहीं है निकलना तो उसकी पुगे पुगे जबाबदारी मेरी रहेगी ।

विक्रय किये मकान को नामान्तरण की कार्यवाही आपने ग्राम पंचायत पानसेमल के कार्यालय में विकीवत करके पंचायत के रेकार्ड में से विक्रय किये मकान पर से मेरा नाम हटा करवाकरके मेरे नाम को जगह आपका नाम दर्ज करवा लेना - अधिकार आपको रहेगा । उसमें कोई भी आपत्ति करेगी तो नाजायज व झुठे माने जावेंगे ।

लिखाजा यह मकान का विक्रय पत्र मैंने मेरी गणेश सुशी से बिना को पानी के ही शो हवाश में लिखाया तथा पढवाकर सुना तथा मैंने मेरी स्वेच्छा से को सो सन्दर्भ रहे व वकील जबरन के काम आवें सो सही दिनांक:- २५-४-७३

गवाह:-

सही :-

[Handwritten signature]

१:- शिवदास शर्मा

२:- बालकृष्ण लोठकी

- १. मकान का पता
 - २. लक्षणा
 - ३. दस्तावेज लेना के जबाबदारी का स्थान:-
 - ४. मकान का विक्रयपत्र
 - ५. पंजीयन क्रमांक
 - ६. लीगई फ़ीस
- [Handwritten notes and signatures in the list items]*

